न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 188/2019 निर्णय दिनांक :– 28.11.19

उनवान

1. विष्णु कुमार पुत्र प्रभुलाल जाति माली निवासी दरिबो का मोहल्ला वार्ड नम्बर 05 चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।.

<u>दावा दुरस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खाता संख्या 288 के खसरा नम्बर 9007 रकबा 4.66 है0 खसरा नम्बर 9023 रकबा 0.03 है0 खसरा नम्बर 9668 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 9669

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रकबा 0.18 है0 , खसरा नम्बर 9670 रकबा 2.50 है0 , खसरा नम्बर 9671 रकबा 0.22 है0 , खसरा नम्बर 9675 रकबा 0.10 है0 , खसरा नम्बर 9676 रकबा 0.02 है0 कुल किता 08 कुल रकबा 7.90 है0 भूमि वाके चाकसू पश्चिम पटवार हल्का चाकसू पश्चिम तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सानुसार दर्ज है। जिसमें वादी का नाम किशनलाल पुत्र प्रभु गलत दर्ज कर रखा है। , वादी वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आं रहा है तथा अपनी उपज का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करता चला आ रहा है। वादी का विवादित आराजी में स्वयं का नाम किशनलाल पुत्र प्रभु राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित हो रखा है जबकि वादी का वास्तविक नाम विष्णु कुमार पुत्र प्रभुलाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होना चाहिये था जबकि वादी का नाम वोटरलिस्ट व आधार कार्ड , पहचान पत्र , राशन कार्ड , शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में विष्णु कुमार पुत्र प्रभुलाल अंकित हो रखा है जो सही दर्ज हो रखा है। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में किशन लाल स्थान पर विष्णु कुमार पुत्र प्रभुलाल दर्ज होना चाहिये था। वादी का नाम वादग्रस्त आराजी में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादी का नाम किशनलाल पुत्र प्रभु राजस्व रिकॉर्ड मे गलत दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में विष्णु कुमार. पुत्र प्रभुलाल अंकित होना चाहिये था

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जिससे वादी वादग्रस्त आराजी में स्वयं का नाम किशनलाल पुत्र प्रभु की जगह विष्णु कुमार पुत्र प्रभुलाल दुरस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। वादग्रस्त आराजीः की राजस्व रिकॉर्ड की नकले निकलवाई तथा उक्त नकलो को दिनांक 11.07.2019 को बैंक में दिखाया तो दस्तावेजो व रिकॉर्ड में नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है। बैंक वालो ने कहा कि पहले तुम नाम दुरस्त कराओ तब लोन देंगे तब जानकारी हुई। वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में वादी अपना नाम किशनलाल पुत्र प्रभु की जगह विष्णु कुमार पुत्र प्रभुलाल दुरस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि वादी के लिये वादकारण दिनांक 11.07.2019 को बैंक वालो ने कहा कि आपका नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है जिसके लिये कहने पर उत्पन्न हुआ। विवादित आराजी श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार हासिल है। वादी का वाद अन्दर मियाद एवं निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 288 के खसरा नम्बर 9007 रकबा 4.66 है0 खसरा नम्बर 9023 रकबा 0.03 है0 खसरा नम्बर 9668 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 9669 रकबा 0.18 है0 , खसरा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नम्बर 9670 रकबा 2.50 है0 , खसरा नम्बर 9671 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 9675 रकबा 0.10 है0 , खसरा नम्बर 9676 रकबा 0. 02 है0 कुल किता 08 कुल रकबा 7.90 है0 भूमि वाके चाकसू पश्चिम पटवार हल्का चाकसू पश्चिम तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्वयं वादी का नाम किशनलाल पुत्र प्रभु के' स्थान पर विष्णु झुआरा. पुत्र प्रभुलाल दुरस्त फरमाया जावें। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि वो राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नही करे। अन्य कोई उचित आदेश जो वादी के हित में हो और माननीय न्यायालय की दृष्टि में उचित हो पारित किये जावें। दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि मद संख्या 1 मुताबिक राजस्व जमाबंदी ग्राम चाकसू पश्चिम सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 299 कुल किता 08 रकबा 7.90 की खातेदारी भुमि में किशनलाल पुत्र प्रभू हिस्सा 1/8 जाति माली सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस खाते पर आरएए जयपुर द्वारा एसडीओं कोर्ट चाकसू द्वारा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.11.2015 की कियान्विति स्थगित की गई का नोट अंकित है। मद संख्या 2 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 3 साक्ष्य सबूतों से वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 4 का प्रथम

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

भाग वादी स्वयं सिद्ध करें। शेष कानूनी है। मद संख्या 5 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 6 से 9 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद उमंख्या 10(क) से 10(ख) माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो दावे का समर्थन करते हुये वकील वादी ने प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार दावा डिक्री किया जाना जाहिर किया गया। वादी ने दावे के समर्थन में चाकसू पश्चिम की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 288, बैंक के पासबुक भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, चुनाव पहिचान पत्र राशन कार्ड बतौर दस्तावेज पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गौर किया व प्रस्तुत दस्तावेज एवं जवाब सरकार का परीक्षण किया गया चाकसू पश्चिम की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 288 में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज है। जिसमें वादी का नाम किशनलाल पुत्र प्रभुलाल गलत दर्ज कर रखा है जबकि वादी का नाम विष्णु कुमार पुत्र प्रभुलाल है चुनाव पहचान पत्र आधार कार्ड, राशन कार्ड शिक्षा प्रमाण पत्र में विष्णु कुमार पुत्र प्रभुलाल अंकित हो रखा है जो सही दर्ज कर रखा है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मं प्रस्तुत दस्तावेज एवं जवाब सरकार अनुसार वादी का नाम शुद्ध किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 9007,9023,9668,9669,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

9670, 9671, 9675, 9676 किता 8 रकबा 7.90 है0 वाके ग्राम चाकसू पश्चिम प. ह. चाकसू पश्चिम में वादी का नाम किशनलाल पुत्र प्रभु के स्थान पर किशनलाल उर्फ विष्णु कुमार पुत्र प्रभूलाल शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.01.03 18:30:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: